भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2630

09 जुलाई, 2019 को उत्तरार्थ

विषय: फलों और सब्जियों के उत्पादन में प्रतिबंधित कीटनाशकों का उपयोग

2630. एडवोकेट डीन कुरियाकोसः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने केरल के इदुक्की जिले में इलायची के बागानों में कैंसर के बढ़ते रोगियों के संबंध में कोई अध्ययन कराया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि फलों, सब्जियों और अन्य फसलों के उत्पादन के लिए कतिपय प्रतिबंधित कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है जिसका मानव स्वास्थ्य, मृदा और पशुधन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने फलों, सब्जियों और अन्य फसलों में कीटनाशक अवशेषों के स्तर की पहचान करने के लिए कोई अध्ययन कराया है और यदि हां, तो तत्संबंधी परिणाम क्या हैं; और

(घ) सरकार द्वारा देश में हानिकारक कीटनाशकों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेंद्र सिंह तोमर)

(क) जी, नहीं। केरल राज्य ने सूचित किया है कि इडुक्की जिले में इलायची का पौधरोपण करने वालों में कैंसर के बढ़ते रोगियों के संबंध में कोई अध्ययन नहीं किया है।

(ख) प्रतिबंधित कीटनाशकों की बिक्री की कोई घटना सामने नहीं आई है।

(ग) यह विभाग "राष्ट्रीय स्तर पर कीटनाशी अवशेष निगरानी" (एमपीआरएनएल) स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा है जिसके तहत कीटनाशक अवशेष की मौजूदगी का पता लगाने के लिए खाद्य जिंन्सों को एकत्रित तथा विश्लेषित किया जाता है। वर्ष 2014-19 के दौरान, कुल 1,18,035 नमूने एकत्र किए गए तथा विश्लेषण किया गया है जिनमें से 2950 (2.5%) नमूने भारतीय, खाद्य सुरक्षा तथा मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक अवशेष स्तर (एमआरएल) पाया गया। इसके अतिरिक्त एमपीआरएनएल स्कीम के तहत खाद्य जिंसों में प्रतिबंधित कीटनाशकों के कोई अवशेष नहीं पाए गए हैं।

(घ) पंजीकृत कीटनाशकों के निरंतर उपयोग के लिए समय-समय पर उनकी तकनीकी समीक्षा की जा रही है। ऐसी तकनीकी समीक्षा की सिफारिशों के आधार पर इस विभाग ने अन्य बातों के साथ-साथ देश में उपयोग के लिए 40 कीटनाशकों और 4 फार्मुलेशन को प्रतिबंधित कर दिया है। 2 कीटनाशकों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है लेकिन निर्यात के लिए इनका निर्माण जारी रखा गया है। 18 कीटनाशकों को उनकी विषाक्तता के कारण पंजीकरण के लिए कभी भी अनुमति नहीं दी गई थी। इसके अलावा, देश में उपयोग के लिए 8 कीटनाशक विदड्रा कर लिए गए हैं और 9 कीटनाशकों के उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है।

*****